International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 7 Issue 1, January-February-2019, Impact Factor 3.275

ग्रामीण विकास हेतु पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी का योगदान

धर्मेन्द्र कुमार जांगिड

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

सार

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश के ग्रामीण विकास मे पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। ये भारतीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारशिला है। ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में विकेन्द्रीकरण के माध्यम से पंचायतों को विशेष महत्व देते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है कि – ''सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगी एवं उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से युक्त करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो।''

प्रमुख शब्दावली लोकतंत्र, विकेन्द्रीकरण, पंचायती राज, खंड विकास अधिकारी, सत्ता की डोर, आत्मनिर्भरता,

प्रस्तावना

भारतीय समाज और शासन व्यवस्था में पंचायतें बहुत ही पुरानी अवधारणा है। जिसके स्वरूप में समय समय पर आवश्यक बदलाव भी देखने को मिलता रहा है। ग्रामीण विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायतों की भूमिका अब इतनी सीमित नहीं है क्योंकि उन्हें जरूरी अधिकार और पूंजी दोनों ही चीजें मिल रही है जिसका असर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में देखने को मिलता है। आज जनमानस में जागरूकता आयी है जिसके परिणाम स्वरूप पंचायतों में यथार्थ रूप से काम हो रहा है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने पंचायती राज की कल्पना करते हुए कहा था कि संपूर्ण गांवों में पंचायती राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता और अधिकार होंगे अर्थात् गांव आत्म निर्भर होंगे तथा अपनी जरूरतों की पूर्ति उन्हें स्वयं करनी होगी। साथ ही दुनिया के विरूद्ध अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, यही ग्राम स्वराज में पंचायती राज हेतु मेरी अवधारणा है। आज गांवों की प्रगति से हिन्दुस्तान की प्रगति होगी। इसका मूल उद्देश्य – सत्ता की डोर को देश की संसद से लेकर ग्राम स्तर तक जोड़ना।

भारत में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की स्थिति–

भारत को गांवों का देश है। जहां आज भी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और देश भर में 2,78,727 ग्राम पंचायतें, 7070 खंड पंचायतें एवं 721 जिला पंचायतें निरंतर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महात्मा गांधी से पहले और उसके बाद भी ग्रामीण विकास में काम होते रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो विचार रखा, वो आज भी इतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि उसमें गांवों की आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण तथा शोषण के विरूद्ध एक ठोस नीति की भी बात की गयी है। इस विचारधारा से गांधी जी के ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण के सपने की झलक स्पष्ट दिखायी देती है।

भारत में पंचायतीराज की स्थापना –

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने 1957 में मेहता जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिसने लोकतंत्र की सफलता के लिए इमारत को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने हेतु सिफारिश की एवं निम्न सुझाव दिए –

सरकार को अपने कार्यों और दायित्वों से मुक्त हो जाना चाहिए और उन्हें एक ऐसी संस्था को सौंप देना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यों की जिम्मेदारी रहे, सरकार का काम इतना रहे कि संस्थाओं का पथ प्रदर्शन और निरीक्षण करें, लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करने के लिए राज्यों की इकाइयों से पंचायतों का अटूट संबंध रहे। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया जो – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का गठन आदि है ।

1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास के लिए ये आवश्यक कदम था । आजादी के एक दशक बाद भी देश में गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, महामारी, अंध विश्वास, अकाल, जात पात, छुआछूत , महिलाओं एवं बच्चियों की दुर्दशा जैसी अनेक समस्याएं मौजूद रही। ऐसे में पंचायती राज एक उम्मीद की किरण बना जिसका उद्देश्य गांवों का स्वावलंबीकरण करना, इस व्यवस्था को राष्ट्रवादी चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से भी समझा गया जिसमें 'अंत्योदय की योजना' से समाज के अंतिम छोर पर खडे मनुष्य तक प्रगति का लाभ पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है और अंतिम छोर पर खड़ा वह मनुष्य है जो गांवों में एवं खेतों में रहता है ।

शनैः शनैः यह व्यवस्था पूरे भारत में अपनायी गयी लेकिन आशानुकूल सफलता नहीं मिली क्योंकि पैसों के लिए राज्य सरकार पर आश्रित होने और संस्थान के अन्य सदस्यों में मतभेद की समस्याएं रही एवं अनेक संशोधनों के कारण भी व्यवधान हुआ। 24 अप्रेल 1993 को पंचायती राज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम 73 वें संविधान संशोधन द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जिससे त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में था एवं अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के तहत ग्राम सभा की स्थापना की गई।

पंचायत समिति –

पंचायत राज प्रणाली में खंड स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कडी का कार्य करने वाली संस्था को पंचायत समिति का नाम दिया गया है जो कि ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर पंचायती राज की सारी प्रवृत्तियां केन्द्रित हैं क्योंकि कार्यपालिका अधिकार एवं कर्तव्य इन समितियों में निहित हैं। पंचायत समिति को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है :– पंचायत समिति की परिषद, समिति व्यवस्था तथा प्रशासन तंत्र।

इसमें प्रधान, उपप्रधान, निर्वाचित सदस्य व अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। समिति के कार्यों संपादन करने हेतु स्थायी समितियां बनायी जाती हैं। कृषि पशुपालन, लघु सिंचाई और सहकारिता समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक स्वास्थय और सफाई समिति, यातायात और निर्माण समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति तथा समाज कल्याण समिति इत्यादि इत्यादि।

खंड विकास अधिकारी –

इन्हें बी. डी. ओ. भी कहा जाता है। यह एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति के कार्मिकों का मुखिया एवं पंचायत समिति प्रशासन का अध्यक्ष होता है। खंड विकास अधिकारी दैनिक प्रशासनिक कार्यो का संचालन प्रसार अधिकारियों की सहायता से करते हैं ।

विकास में योगदान –

- खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के स्तर पर किये जा रहे कार्यों एवं समस्त नीतियों का क्रियान्वयन करता है।
- ग्रामीण विकास के से संबंधित केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कराता है।
- योजनाओं से संबंधित समस्त आवश्यक कार्यों तथा ग्राम स्तर तक योजनाओं को लागू करवाना, उनका नियंत्रण एवं परीक्षण करना।
- शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं कृषि कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन व नियंत्रण करते हैं।
- दलितों व पिछड़ों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनसे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं ताकि समाज की मुख्य धारा से पीछे नहीं रहे।

- किसानों के लिए कल्याण से संबंधित कार्यों का भी संचालन करते हैं।
- मनरेगा का कार्य भी सुचारू रूप से ग्रामीण जनता को रोजगार हेतु लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

निष्कर्ष

पंचायत समिति ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती है। निस्संदेह आज गांवों का विकास तेजी से हो रहा है। गांवों में अच्छी सड़के, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आयी है अंधविश्वास व रूढियों का त्याग किया है। ग्रामीण जन भी विकास में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण विकास हेतु अधिक काम करने की आवश्यकता है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का गांवों में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जिससे ग्रामोदय से भारत उदय का संकल्प साकार हो। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु भी प्रयास जारी है जिससे शहरों की ओर ग्रामीणों का पलायन रूक सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1 श्रीवास्तव अर्जुन, पंचायत राज इन इंडिया, आर बी एस ए पब्लिशर जयपुर, 1994 पृ. 48–50
2 कटारिया डॉ सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थायें अतीत वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2007, पृ. सं. 11
3 वहीं पृ सं 27
4 गहलोत, सुखवीर सिंह 'राजस्थान पंचायती राज कानून' यूनिक ट्रेडर्स जयपुर, 2018, पृ सं 78
5 पालीवाल, डॉ दीपक व पालीवाल सरोज, ''गांवों में सर्वागीण विकास में पंचायती राज की भूमिका' लेख – कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2010
6 ग्रामीण विकास कार्य निर्देशिका भाग प्रथम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज सरकारी जयपुर, 2015, पृ सं 87–88
7 www.rdprd.gov.in
8 www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in
9 https://rural.nic.in